संक्षिप्त समाचार

हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के शौचालय में मासूम से दुष्कर्म का प्रयास दरवाजा तोड़कर बचाई जान

हरिद्वार, एजेसी। रेलवे स्टेशन के टिकट घर स्थित महिला शौचालय में साढ़े चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया. बच्ची की चीख पुकार से मौके पर हड़कंप मच गया. आसपास मौजूद लोगों ने दरवाजा तोड़कर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला. इस बीच आरोपी चकमा देकर भाग निकला, लेकिन जीआरपी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. एसपी जीआरपी अरुणा भारती के मुताबिक मध्य प्रदेश निवासी एक परिवार तीर्थ यात्रा के बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था. परिवार के साथ उनकी साढ़े चार साल की बेटी भी थी. इसी बीच बच्ची शौचालय जाने की बात कहने लगी तो पिता ने उसे शौचालय भेज दिया. शौचालय के पास पहले से ही एक युवक मौजूद था. जैसी ही बच्ची शौचालय के अंदर गई तभी वहां मौजूद युवक ने उसे अंदर बंद कर लिया. आरोपी युवक ने बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. बच्ची ने युवक की हरकतों का विरोध किया और चीखने चिल्लाने लगी. बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने दरवाजा खोला तो, शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद मिला. देर न करते हुए हुए लोगों ने लोगों ने दरवाजे को तोड़ दिया. दरवाजा खुला तो शौचालय के अंदर युवक बच्ची को पकड़े हुए मिला. लोगों ने बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंची. हरिद्वार जीआरपी थाना प्रभारी बिपिन चंद्र पाठक के नेतृत्व में टीम ने स्टेशन परिसर और आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर दी. कुछ ही घंटों में स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन परिसर से ही दबोच लिया. आरोपी की पहचान निवासी सिंगेरा रसमल्ला, थाना मरदाहा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई. जीआरपी थाना प्रभारी बिपिन चंद्र पाठक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी घुमंतू प्रवृत्ति का है और भीड़भाड़ वाले इलाकों में वो वारदात करने के इरादे से हरिद्वार आया था, इसलिए उसके आपराधिक इतिहास की जांच भी की जा रही है.

चेक बाउंस के आरोप में तीन माह का साधारण कारावास

नई टिहरी, एजेंसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (सीडि) की अदालत ने चेक बाउंस के आरोप में एक अभियुक्त को तीन माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 4.30 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। परिवादी सुरेंद्र सिंह ने न्यायालय में दायर परिवाद पत्र में बताया कि दोनों के बीच काफी जान पहचान होने पर अभियुक्त ने परिवादी से अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए जून 2024 में पैसे उधार मांगने के दौरान कहा था कि वह जल्द ही उधार ली गई पूरी रकम छह माह में लौटा देगा। विश्वास में आकर परिवादी ने उसे 4.20 लाख रुपये उधार दे दिए। उस समय अभियुक्त ने परिवादी को गारंटी के रूप में एक चेक देते हुए कहा कि समय पर पैसे वापस नही मिलने पर वह चेक से अपनी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। तय समय के बाद परिवादी ने अपने पैसे मांगे लेकिन वह टाल-मटोल करता रहा। उसके बाद परिवादी ने आरोपी की ओर से दिया गया चेक बैंक में जमा कराया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। इस पर परिवादी ने आरोपी को सूचना दी। तब उसने एक सप्ताह बाद चेक लगाने को कहा। एक सप्ताह बाद फिर से चेक बैंक में जमा कराया। फिर भी भुगतान नहीं हुआ। और बैंक से वह चेक बाउंस हो गया। नोटिस के माध्यम से इसकी सूचना देने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। तब परिवादी ने न्यायालय में वाद दायर किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (सीडि) आफिया मतीन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त हिमानंद निवासी चंबा को चेक बाउंस का दोषी मानते हुए तीन माह साधारण कारावास की सजा सुनाइ

हेली बुकिंग के नाम पर ठगी करने वालों पर शिकंजा 265 वेबसाइट्स और अकाउंट्स कराए बंद

रुद्रप्रयाग, एजेंसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. हेली टिकट बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले गिरोहों पर सख्ती बरतते हुए पिछले दो महीने में अब तक कुल 265 वेबसाइट्स, बैंक खाते, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और मोबाइल नंबरों पर कार्रवाई की गई है.

जिले में हर साल होने वाली केदारनाथ यात्रा से पहले ही साइबर ठग सक्रिय हो गए थे. ये ठग हेलीकॉप्टर सेवाओं के नाम पर फर्जी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर श्रद्धालुओं को लुभावने ऑफर देकर ठगी कर रहे थे. कई श्रद्धालु इनके झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग निहारिका तोमर द्वारा 'साइबर फ्रॉड कॉम्बैट फोर्स' का गठन किया गया, जिसने तेजी से कार्रवाई करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय ठगों के नेटवर्क को तोड़ने का काम किया है.

सोशल मीडिया पर बड़ी कार्रवाईः पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए 111 फेसबुक पेजों में से 106 पेज हटवाए जा चुके हैं, जबकि 16 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को संदिग्ध गतिविधियों के चलते रिपोर्ट किया गया है. इन सभी की विस्तृत जांच जारी है.

मोबाइल और व्हाट्सएप नेटवर्क पर प्रहारः साइबर ठगी में प्रयुक्त 110 मोबाइल नंबरों में से 55 नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं. जबकि शेष नंबरों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया जारी है. इन नंबरों की जानकारी संबंधित टेलीकॉम कंपनियों और व्हाट्सएप को उपलब्ध कराई गई है. बैंक खातों पर शिकंजाः ठगी में प्रयुक्त 6 बैंक खातों की जांच में से 1 खाते को डेबिट फ्रीज कर दिया गया है, जबकि अन्य खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया जारी है.

फर्जी वेबसाइट्स पर निगरानीः हेलीकॉप्टर टिकट दिलाने का दावा करने वाली 22 संदिग्ध वेबसाइट्स की पहचान कर उन्हें डोमेन रजिस्ट्रार को रिपोर्ट किया गया है, ताकि इन्हें जल्द बंद कराया जा सके. एसपी की अपीलः पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की एकमात्र अधिकृत वेबसाइट आईआरसीटीसी की हेलीयात्रा पोर्टल है. इसके अलावा किसी भी अन्य लिंक, वेबसाइट या सोशल मीडिया विज्ञापन के माध्यम से बुकिंग करने से बचें. उन्होंने कहा कि, रुद्रप्रयाग पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है और लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी जा रही है. किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें. श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपीलः पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और केवल अधिकृत माध्यमों से ही बुकिंग करें, ताकि सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके.

ग्रामीण पर्यटन के तहत विकसित होगा धिमतोली गांव

रुद्रप्रयाग, एजेंसी। जनपद के ब्लॉक अगस्त्यमुनि के धिमतोली गांव को ग्रामीण पर्यटन के तहत विकसित करने की दिशा में प्रशासन के कदम बढ़े है। इसके लिए जनपद स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो गांव में पर्यटन सुविधाओं के विकास, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेगीं। क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण कार्तिक स्वामी मंदिर है, जो अपनी दिव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है और यहां से हिमालय की मनमोहक चोटियों के दर्शन होते हैं। हर साल श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचते हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता हुई बैठक में ग्रामीण प्रर्यटन विकास के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें पर्यटन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। क्षेत्र के विभाग के लिए विभागों से प्रस्ताव मांगें गये है। विभागों में योजना के लिए वजट न होने पर पर्यटन विभाग की मद से योजनाओं पर खर्चा किया जायेगा।

धराली में भू-धंसाव से गंगोत्री हाईवे और सेब बागीचों को पहुंचा नुकसान, स्थानीय लोगों की बढ़ी टेंशन

उत्तरकाशी, एजेंसी। आपदा प्रभावित धराली में भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के कारण हुए भू-धंसाव के कारण गंगोत्री हाईवे के किनारे बने सेब के बागीचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं. साथ ही गंगोत्री हाईवे को करीब तीस मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण उस पर दरारें आ गई हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी प्रकार बारिश होती रही तो गंगोत्री हाईवे पूरी तरह धंसने के साथ ऊपर गांव और बागीचों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है.

धराली प्रधान अजय नेगी ने बताया कि बीते रविवार को क्षेत्र में बारिश होने के कारण गंगोत्री हाईवे के किनारे बागीचों में भारी भू-धंसाव हुआ. इस कारण वहां पर लगे सेब के करीब 100 पेड़ों को नुकसान हुआ है. मिट्टी पूरी तरह धंसने के कारण पेड़ गिर गए हैं. साथ ही इस कारण गंगोत्री हाईवे का भी करीब तीस मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है. उस पर अभी भी भू-धंसाव जारी है. उन्होंने बताया कि अगर इसी प्रकार दो तीन दिन लगातार बारिश होती रही. इससे भू-धंसाव बढ़ जाएगा और गंगोत्री हाईवे को पूरी तरह नुकसान होने के साथ उसके ऊपर गांव और बागीचों के लिए भी बड़ा खतरा हो जाएगा.

ऐसी स्थिति में चारधाम यात्रा में आवाजाही में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. अजय नेगी ने कहा कि गत वर्ष आई आपदा के दौरान वहां पर भागीरथी नदी से कटाव शुरू हो गया था. वह धीरे-धीरे लगातार धंस रहा था. बीते रविवार को हुई बारिश के कारण वह पूरी तरह धंस गया. इस संबंध में कई बार जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को बागीचा स्वामी की ओर से लिखित वहां पर सुरक्षात्मक कार्य करने की मांग की गई. लेकिन उस पर कार्रवाई न होने के कारण अब यह बड़ा खतरा बन गया है.

यमुनोत्री हाईवे पर ट्रक खराब होने से ढाई घंटे ठप रहा यातायातः डबरकोट और स्यानाचट्टी के बीच हाईवे पर ट्रक अचानक खड़ा हो गया. चालक ने बताया कि वाहन में तकनीकी खराबी आई है. इसके बाद स्थानीय लोग वहां एकत्रित हुए और खराब ट्रक को धक्का देकर किसी तरह सड़क किनारे खड़ा किया गया. ऐसा करने में करीब एक घंटे का समय लग गया. इससे वहां पर वाहनों का लंबा जाम लग गया और यातायात प्रभावित हो गया. मार्ग सिंगल लेन होने के कारण अन्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई. जिस कारण सफर करने वाले लोग फंसे रहे.

आशुतोष उनियाल ने बताया कि करीब एक घंटे बाद स्थानीय लोगों की मदद से खराब ट्रक को साइड किया गया. इसके बाद छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी. लेकिन मार्ग संकरा होने के कारण बड़े वाहन नहीं निकल पाए. ढाई घंटे बाद वाहनों को वहां से निकाला गया, जिसके बाद हाईवे पर पूरी तरह वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी.

हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, उधर गंगा में डूबे युवक की तलाश तेज

हरिद्वार, एजेंसी। सिडकुल क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. युवक का शव कमरे में फंदे से लटका मिला और युवक सैलून चलाता था. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं दूसरी ओर एक युवक गंगा के तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. रविवार को तक्षशिला स्कूल के पास किराए पर रहने वाले युवक (18) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पुलिस को मिली. थानाध्यक्ष अजय शाह ने टीम के साथ जांच की तो पाया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है. परिजनों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां युवक का शव पंखे से लटका मिला. परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक कॉलोनी में सैलून चलाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से कामकाज ठप पड़ गया था, जिससे वह काफी तनाव में रहने लगा था. वह दुकान बंद करने की बात भी कह रहा था. थानाध्यक्ष अजय शाह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.आश्रम में रह युवक की खोजबीन में सर्च अभियान जारीः भूपतवाला स्थित एक आश्रम में रह रहे युवक के गंगा में डूबकर लापता होने से हड़कंप मच गया. देर शाम तक चले सर्च अभियान के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया. खोजबीन जारी है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. नवीन चंद पाठक (26) निवासी बागेश्वर पिछले करीब तीन महीने से भूपतवाला स्थित विवेकस्थली आश्रम में रहकर पूजा-पाठ का अध्ययन कर रहा था. शनिवार शाम वह परमार्थ घाट पर पूजा-अर्चना के बाद गंगा में स्नान करने लगे.

भगवान बदरीविशाल के लिए सुहागिन महिलाओं ने पिरोया तिल का तेल, आज से शुरू होगी कलश यात्रा

नरेंद्र नगर (टिहरी), एजेंसी। बदरीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया से संबंधित कार्य शुरू हो गए हैं. उत्तराखंड की आस्था और परंपरा का प्रतीक भगवान बदरी विशाल की नित्य महाभिषेक पूजा के लिए प्रयोग होने वाले पवित्र तिलों के तेल को टिहरी राजदरबार, नरेंद्र नगर में विधि-विधान के साथ पिरोना शुरू हो गया है. इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान में टिहरी महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह के साथ में अन्य सुहागिन महिलाओं ने भाग लिया और परंपरागत तरीके से तिलों का तेल तैयार किया. 8 अप्रैल से गाडू घड़ा कलश यात्रा की शुरुआत होगी.

बदरीनाथ के डिमरी पुजारी समुदाय के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने बताया कि, इस प्रक्रिया में 8 अप्रैल को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी शामिल होंगे. जिससे इस आयोजन का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया है. तैयार किया गया यह पवित्र तेल भगवान बदरी विशाल के तेल कलश गाडू घड़ा में भरा जाएगा.

गाडू घड़ा कलश कल शोभायात्रा के साथ नरेंद्र नगर से बदरीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगा. यह यात्रा दो चरणों में संपन्न होगी, जो विभिन्न कस्बों और बदरीनाथ यात्रा मार्ग से होते हुए पुजारी समुदाय डिमरी के मूल ग्राम डिम्मर पहुंचेगी. वहां से आगे बढ़ते हुए यह यात्रा 22 अप्रैल को बदरीनाथ धाम पहुंचेगी. बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे. कपाट खुलने के साथ ही इस पवित्र तेल कलश को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी तिल के तेल से भगवान बदरी विशाल का अभिषेक किया जाता है, जो पूरे वर्ष चलने वाली पूजा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

कार्यक्रम की खास बात रही कि सुबह-सुबह मौसम अनुकूल नहीं था. बूंदा-बांदी हो रही थी. मगर जैसे ही राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल द्वारा महारानी व टिहरी की सांसद राज्यलक्ष्मी शाह के हाथों विधिवत पूजा अर्चना करके, भगवान बद्री विशाल के जय कारों के साथ महिलाओं ने मूसल, ओखली और सिलबट्टे से तेल पिरोने का कार्य शुरू किया, वैसे ही बूंदाबांदी बंद होने के साथ मौसम सुहावना हो गया सभी श्रद्धालु इसे भगवान बद्री विशाल की कृपा मान कर प्रसन्न और प्रफुल्लित नजर आ रहे थे. गौरतलब है कि तिल से तेल निकालने के बाद इसे विशेष विधि से गाडू घड़ा में भरा जाता है. फिर यह कलश यात्रा आस्था के साथ बदरीनाथ धाम तक पहुंचती है. इस तेल का उपयोग न केवल भगवान के अभिषेक में किया जाता है, बल्कि मंदिर में प्रज्ज्वलित अखंड ज्योति में भी इसका विशेष महत्व है.

अविरल गंगा शाखा ने गंगा आरती और भजन संध्या के साथ किया नए सत्र का शुभारंभ

पांच विकास मित्र बने सदस्यों को केंद्र के द्वारा दिए गए स्मृति चिन्ह से किया सम्मानित

रुड़की (दैनिक हाक): श्री विनेश्वर मंदिर नहर किनारा नीले पुल के पास पार्क में भारत विकास परिषद की अविरल गंगा शाखा रुड़की द्वारा नए सत्र का शुभारंभ गंगा आरती और भजन संध्या के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीपदान एवं गंगा आरती से हुआ।

भजनों की मधुर धुनों पर सदस्य झूम उठे और पूरे वातावरण में भक्ति रस का संचार हो गया। यह आयोजन शाखा द्वारा प्रतिवर्ष परंपरागत रूप से किया जाता रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष मनीषा सिंघल उपस्थित रही। उन्होंने कार्यक्रम में पांच विकास मित्र बने सदस्यों को केंद्र के द्वारा दिए गए स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। इस अवसर पर शाखा के संरक्षक डॉ. मित्तल, सुनील जैन एवं प्रदीप वधावन ने नई टीम अध्यक्ष रीति वर्मा, सचिव बबीता तथा कोषाध्यक्ष वर्णित अग्रवाल सहित समस्त कार्यकारिणी को आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्य अतिथि मनीषा सिंघल ने शाखा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सभी सदस्यों को निरंतर सेवा और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर शाखा सदस्य पूर्व अध्यक्ष पुंडीर, नीरज मित्तल, प्रीति, संजय कालरा, डॉ. संगीता, नीलम माधोक, नीता, रमा, पंकज गर्ग, राधेश्याम, मुकुल, डॉ. प्रदीप, संजय अग्रवाल, नवीन, विकास, राजीव गोयल, राजेंद्र, सुगंध , नीलम शर्मा, ममता, दीपक अग्रवाल, उर्मिला, विमलेश, अनुपमा, अरुणा, संगीता सिंह, रितु, आभा, सीमा, ऋषिपाल सैनी, ऊषा, राधिका, मोनिका राणा, शिखा गुप्ता, कंचन, सारिका दिव्या आदि सदस्य उपस्थित रहे।

SUPREME HOME LOANS

सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
रजि. ऑफिस; दूसरी मंजिल, हर्षा भवन, 13/29, ई-ब्लॉक, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001
CIN: U67190DL2014PLC272457; टेलीफोन नम्बर: +9111-41323147
ईमेल: customercare@supremehomeloans.com
Website: www.supremehomeloans.com

सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - शाखा प्राधिकरण) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की शाखा, जो **फर्स्ट फ्लोर, प्लाट न: 17/1, खसरा न: 512M/1, विलेज - जगजीतपुर, परगना - ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड- 249408** में स्थित है, **13 जुलाई 2026** को कार्य समय समाप्त होने के बाद बंद कर दी जाएगी, क्योंकि इसका संचालन निकटवर्ती शाखा कार्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो कि **फर्स्ट फ्लोर, खसरा नो. 447, नियर डॉ. पंकज अरोरा जीएमएस रोड, देहरादून, उत्तराखंड- 248001** में स्थित है। यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप उल्लिखित निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं-customercare@supremehomeloans.com यह सूचना कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है (www.supremehomeloans.com).

फॉर एंड ओन बेहल्फ ऑफ सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
तारीख: 08.04.2026 हस्ताक्षर/- (नेहा भाटिया) कंपनी सचिव

शुभम्

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पो. कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002
(इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

यह आपको सूचित किया जाता है कि धरोहर ऋणकर्ता **शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 608, 609, छठवीं मंजिल, ब्लॉक–सी अंसल एम्पेरियल टॉवर, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली–110028 (इसके पश्चात 'एसएचडीएफसीएल' के रूप में संबोधित) द्वारा आपके ऋण खाते को एनपीए के तौर पर घोषित कर चुका है एवं एसएचडीएफसीएल के आपके ऋण खाते के विरूद्ध संपूर्ण ऋण का भुगतान करने के उत्तरदायी है। आपको उपरोक्त राशि पर अनुबंध दर पर लागू भविष्य ब्याज के साथ प्रासंगिक व्यय, मूल्य, शुल्क आदि का भुगतान करने के उत्तरदायी है। इसलिए इस सूचना के दिनांक से 60 दिवस में एसएचडीएफसीएल को आपके संपूर्ण दायित्व का भुगतान करने के लिए आपको बुलाया जाता है असफल रहने पर एसएचडीएफसीएल को कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। ऋणकर्ताओं एवं धरोहर संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. स.	ऋण खाता क्रं. ऋणकर्ता (ओं) का नाम	ऋणी का पता	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति
1	लोन नं. 0HDR2410000005091812 कानूनी उत्तराधिकारी (मृतक सन्नी) आरती, प्रदीप, उषा देवी, शकुंतला देवी	सराय, हरिद्वार, उत्तराखंड – 249404	12-03-2026 & ₹ 7,94,434/-	यह संपत्ति खसरा संख्या 131 मिन के प्लॉट के भाग के अंतर्गत आती है, जो सराय परगना ज्वालापुर तहसील जिला हरिद्वार, उत्तराखंड – 249404 में स्थित है। क्षेत्रफल– 163.56 वर्ग मीटर
2	लोन नं. 0RORR2302000005058988 विकास, अंजू	ग्राम पन्याला चंदापुर , हरिद्वार, उत्तराखंड – 247667	12-03-2026 & ₹ 6,89,856/-	संपत्ति नं – 00727, खसरा संख्या 477 मिन, ग्राम–पनियाला चंदापुर, नगर पंचायत पाडली गुज्जर की सीमा के अंतर्गत, परगना भगवानपुर, तहसील –रुड़की, जिला–हरिद्वार, उत्तराखंड–247667, क्षेत्रफल– 500 वर्ग फुट, चतुर्सीमाः पूर्व दिशा – 5 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा – रहीश का घर, उत्तर दिशा – 6 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण दिशा – जतिराम का घर
3	लोन नं. 0ROR2503000005105620 & 0ROR2312000005074644 & 0ROR2302000005058624 अबुल हसन, रुकसाना, गुलफाम, तालिब	पुत्र गुलफाम, गढ़ी बहार, झबरेड़ा, हरिद्वार, उत्तराखंड – 247665	12-03-2026 & ₹ 4,67,957/- & ₹ 5,01,752/- & ₹ 10,33,821/-	चक नंबर 481, पुराना खसरा नंबर 537/1 मिन, नया खसरा नंबर 1077, करबा– झबरेड़ा, परगना– मंगलौर, तहसील– रुड़की, जिला– हरिद्वार, उत्तराखंड– 247665 में स्थित संपत्ति, क्षेत्रफल– 1296.75 वर्ग फुट, चतुर्सीमाः पूर्व – दाऊद की संपत्ति, पश्चिम – श्रीमती भूरी की संपत्ति, उत्तर – 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण – राजपाल की संपत्ति

स्थान : गुडगाँव
दिनांकः 07.04.2026
प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत)
पंजीकृत कार्यालय: 605-606, ट्रेड वर्ल्ड, बी-विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई- 400013

यह सूचना सामान्य जनता, मकान मालिकों, संपत्ति स्वामियों तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को दी जाती है कि एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कॉर्पोरेट देनदार") वर्तमान में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से गुजर रही है। कॉर्पोरेट देनदार द्वारा देशभर में विभिन्न परिसरों पर ऑफ-साइट ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) / कैश रिसाइकलर मशीन (CRM) स्थापित एवं संचालित की गई थीं, जो संबंधित संपत्ति स्वामियों/मकान मालिकों के साथ किराया/लीज एवं लाइसेंस समझौतों के तहत थीं।

कॉर्पोरेट देनदार के CIRP में प्रवेश के पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा 27 अगस्त 2025 को फॉर्म I के अंतर्गत सार्वजनिक घोषणा (प) फ्री प्रेस जर्नल- महाराष्ट्र संस्करण (अंग्रेजी), (ii) नवशक्ति- महाराष्ट्र संस्करण (मराठी) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें आम जनता से दावे आमंत्रित किए गए थे, जिनमें वे मकान मालिक भी शामिल हैं जिनके बकाये कॉर्पोरेट देनदार के विरुद्ध लंबित हैं। इसके पश्चात उक्त सार्वजनिक घोषणा के संबंध में 3 सितंबर 2025 को एक संशोधन (व्यततपहमदकनउ) भी प्रकाशित किया गया था।

यह सूचित किया जाता है कि कुछ ऑफ-साइट ATM स्थान वर्तमान में गैर-कार्यशील हैं, और तदनुसार ऐसे गैर-कार्यशील ATM स्थानों के संबंध में किराया/लीज एवं लाइसेंस समझौते 25 अगस्त 2025 (CIRP प्रारंभ तिथि) से निरस्त एवं/अथवा समाप्त माने जाएंगे।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी 25 अगस्त 2025 से आगे गैर-कार्यशील ज्ड स्थानों के संबंध में किसी भी प्रकार के किराया, लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क, रखरखाव शुल्क अथवा अन्य किसी देय राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

अतिरिक्त रूप से, यदि कोई दावे या मांगें अभी या भविष्य में प्रस्तुत की जाती हैं, तो उनका विचार एवं निस्तारण दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ATM मशीनें, वॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, साइनज एवं ऐसे स्थानों पर स्थापित अन्य संबंधित संपत्तियां कॉर्पोरेट देनदार और/या संबंधित बैंकों की संपत्ति हैं। कोई भी मकान मालिक, संपत्ति स्वामी अथवा तीसरा पक्ष बिना अधोहस्ताक्षरी की लिखित अनुमति के इन संपत्तियों को हटाएगा या नष्ट करेगा तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

यह सूचना केवल आम जनता को अवगत कराने तथा भविष्य में किसी भी विवाद या अनधिकृत दावे से बचाव हेतु जारी की जा रही है।

हस्ताक्षरित
सीए बृजेन्द्र कुमार मिश्रा
(डिम्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल)
एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड- CIRP के अंतर्गत
आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00109/2017-2018/10257
AFA विवरण: AA2/10257/02/311226/204257 (मान्य 31.12.2026 तक)
दिनांक: 08.04.2026